

## अनुक्रमणिका

<b>अध्याय – I: प्रारंभिक</b> .....		4
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .....	4
2.	उद्देश्य .....	4
3.	प्रयोज्यता .....	4
4.	परिभाषाएं .....	4
<b>अध्याय – II: सामान्य दिशानिर्देश</b> .....		8
5.	ब्याज दर ढांचा .....	8
<b>अध्याय – III: घरेलू रूपया जमाराशियां</b> .....		10
6.	घरेलू चालू खाते पर ब्याज दर .....	10
7.	घरेलू बचत जमाराशि पर ब्याज दर .....	10
8.	घरेलू मियादी जमाराशियों पर ब्याज दरें .....	10
9.	घरेलू जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान .....	11
10.	अतिदेय घरेलू जमाराशियों पर ब्याज .....	13
11.	अस्थिर दर वाली घरेलू मियादी जमाराशियां .....	13
12.	घरेलू बचत जमाराशियों पर ब्याज भुगतान की आवधिकता .....	13
13.	दिवंगत जमाकर्ता के घरेलू जमाखाते पर देय ब्याज .....	13
14.	किसान के संमिश्र नकदी ऋण खाते में न्यूनतम जमाशेष पर ब्याज की अदायगी का विवेकाधिकार .....	13
15.	घरेलू मियादी जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण पर दंड .....	14
<b>अध्याय – IV: अनिवासियों की रूपया जमाराशियां</b> .....		15
16.	रूपया जमाराशियों पर ब्याज दरें - अनिवासी .....	15
17.	ग्रहणाधिकार (लीन) पर प्रतिबंध .....	16

18.	एनआरई जमाराशि के अवधिपूर्व आहरण पर दंड .....	16
19.	दिवंगत जमाकर्ता के एनआरई मियादी जमाराशि पर देय ब्याज .....	17
<b>अध्याय – V: विदेशी मुद्रा जमाराशियां</b> .....		18
20.	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) .....	18
21.	एफसीएनआर(बी) मियादी जमाराशियों पर ब्याज की गणना की विधि .....	19
22.	एफसीएनआर(बी) मियादी जमाराशियों के नवीकरण पर ब्याज की गणना .....	19
23.	दिवंगत एफसीएनआर(बी) जमाकर्ता की मियादी जमाराशि पर देय ब्याज .....	20
24.	भारत लौटने पर अनिवासी भारतीयों की एफसीएनआर (बी) मियादी जमाराशियों पर ब्याज की अदायगी.....	21
25.	भारत लौटने पर अनिवासी भारतीयों की एफसीएनआर (बी) जमाराशियों का आरएफसी खातों/ निवासी रूपया खातों में परिवर्तन- ब्याज की अदायगी .....	21
26.	जमाराशियों का अवधिपूर्व आहरण .....	21
27.	जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण पर दंड .....	22
28.	निवासी विदेशी मुद्रा खाता .....	22
<b>अध्याय – VI: प्रतिबंध और छूट</b> .....		23
29.	प्रतिबंध .....	23
30.	छूट .....	24
	अनुसूची - I .....	26
<b>अध्याय – VII: निरसन तथा अन्य प्रावधान</b> .....		27
31.	परिपत्रों/निदेशों की सूची .....	27

## अध्याय – I: प्रारंभिक

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1.1 इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
- 1.2 ये निदेश उस दिन से लागू होंगे, जिस दिन इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

### 2. उद्देश्य

ये निदेश बैंकों को जमाराशि पर ब्याज दरों के संबंध में अपनी नीतियां बनाते समय अनुपालन हेतु एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

### 3. प्रयोज्यता

- 3.1 इन निदेशों के प्रावधान भारत में परिचालन हेतु अधिकृत सभी बैंकों पर लागू होंगे।
- 3.2 ये निदेश भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के परिचालन पर लागू नहीं होंगे।

### 4. परिभाषाएं

इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, शब्दों का अर्थ वही होगा, जो उन्हें नीचे प्रदान किया गया है:

4.1 "वैकल्पिक संदर्भ दर" (एआरआर) का अर्थ है संबंधित मुद्रा के लिए कोई भी व्यापक रूप से स्वीकृत एआरआर, जैसा कि दिनांक 08 जुलाई 2021 को जारी लाइबोर (LIBOR) संक्रमण के लिए रूपरेखा (रोडमैप) पर भारिबैंक के परिपत्र केंका. एफएमआरडी. डीआईआरडी.एस39/14.02.001/2021-22 में निर्धारित है।

4.2 "बैंक" अर्थात् –

4.2.1 वाणिज्यिक बैंक, जिनमें शामिल हैं

- (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक,
- (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी),
- (ग) लघु वित्त बैंक (एसएफबी),
- (घ) भुगतान बैंक, और
- (च) स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी)।

4.2.2 सहकारी बैंक, जिनमें शामिल हैं

- (क) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी),
- (ख) राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), और
- (ग) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)।

4.3 “थोक जमाराशि” का आशय है:

- 4.3.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए तीन करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया मियादी जमा।
  - 4.3.2 आरआरबी और एलएबी के लिए एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया मियादी जमा।
  - 4.3.3 01 दिसंबर 2022 को जारी परिपत्र संख्या विवि. आरईजी. सं.84/07.01.000/2022-23 के माध्यम से यूसीबी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे के तहत परिभाषित टियर 3 और टियर 4 अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया मियादी जमा।
  - 4.3.4 अन्य सहकारी बैंकों (अर्थात् ऊपर उल्लिखित टियर 3 और 4 अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को छोड़कर) के लिए पंद्रह लाख रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया मियादी जमा।
- 4.4 “संमिश्र नकदी ऋण” का आशय है किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ऋण उत्पाद का एक प्रकार, जिसमें एक पूर्ण बचत मॉड्यूल के साथ नकदी ऋण सीमा भी हो।
- 4.5 “चालू खाता” का आशय ऐसी ब्याज रहित मांग जमाराशि है जिसमें से, खाते में शेष राशि के आधार पर अथवा किसी विशिष्ट सहमत राशि तक के आहरण, चाहे जितनी बार किये जा सकते हों तथा उसमें ऐसे अन्य जमा खाते भी शामिल माने जायेंगे जो न तो बचत जमाराशि खाते हैं और न ही मियादी जमा खाते;
- 4.6 “दैनिक गुणनफल” का आशय है दैनिक शेष पर लगाया गया ब्याज।
- 4.7 “मांग जमाराशि” का आशय है बैंक द्वारा प्राप्त जमाराशि जिसे मांग पर आहरित किया जा सकता है।
- 4.8 “घरेलू रुपया जमाराशि” का आशय है भारत में चालू खाता, बचत जमाराशियां या मीयादी जमा के रूप में रुपए में रखी गई जमाराशि।

4.9 "परिवार" में बैंक की सेवा/ स्टाफ विनियमावली में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित हैं।

4.10 "एफसीएनआर(बी) खाते" का [आशय विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमाराशि\) विनियमन, 2016](#) में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते से है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

4.11 "हिंदू अविभक्त परिवार" (एचयूएफ) का आशय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत परिभाषित एचयूएफ से है।

4.12 "व्यक्ति" का आशय है प्राकृतिक व्यक्ति।

4.13 "बैंक के स्टाफ सदस्य" का आशय है नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति, पूर्णकालिक या अंशकालिक; और इसमें परिवीक्षा पर भर्ती या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संविदा या प्रतिनियुक्ति पर नियोजित और समामेलन स्कीम के परिणामस्वरूप लिए गए कर्मचारी शामिल हैं, किन्तु इसमें अनियत (कैजुअल) आधार पर नियोजित व्यक्ति शामिल नहीं हैं।

4.14 "नोटिस जमाराशि" का आशय है निर्दिष्ट अवधि के लिए जमा की गयी ऐसी मियादी जमाराशि जिसे एक पूरे बैंकिंग दिन का नोटिस देकर निकाला जा सकता हो।

4.15 "एनआरई खाते" का आशय है ऐसा अनिवासी बाह्य खाता जिसका उल्लेख समय-समय पर [संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमाराशि\) विनियमन, 2016](#) में किया गया है।

4.16 "एनआरओ खाते" का आशय है ऐसा अनिवासी सामान्य जमा खाता जिसका उल्लेख समय-समय पर [संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमाराशि\) विनियमन, 2016](#) में किया गया है।

4.17 "बैंक के सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य" का आशय है बैंक की सेवा/ स्टाफ विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार अधिवर्षिता पर या अन्य प्रकार से सेवामुक्त होने वाले कर्मचारी।

4.18 "आरएफसी खाते" का आशय है ऐसा निवासी विदेशी मुद्रा खाता जिसका उल्लेख समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) विनियमन, 2016 में किया गया है।

4.19 "बचत जमा राशि" का आशय ब्याज सहित मांग जमाराशि है जो जमा खाता हो, भले ही उसका नाम "बचत खाता", "बचत बैंक खाता", "बचत जमा खाता", "बुनियादी बचत बैंक जमा खाता" (बीएसबीडीए) या कोई ऐसा अन्य खाता हो जिसका नाम चाहे कुछ भी हो, और जो किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बैंक द्वारा अनुमत आहरणों की संख्या और साथ ही आहरणों की राशि के प्रतिबंधों के अधीन हो।

4.20 "अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक" का आशय है सहकारी बैंकों को छोड़कर वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हैं।

4.21 "अनुसूचित सहकारी बैंक" का आशय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक से है।

4.22 "मियादी जमा राशि" का अर्थ ऐसी ब्याज सहित जमा राशि है, जो बैंक द्वारा किसी निश्चित अवधि के लिए प्राप्त की गयी हो और इसमें आवर्ती/संचयी / वार्षिकी /पुनर्निवेश जमाराशियां और नकदी प्रमाणपत्र जैसी जमाराशियां भी शामिल होंगी।

4.23 यदि अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, तो अन्य सभी अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, अन्य किसी सांविधिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन, जो भी लागू हो, में दिए गए हों, अथवा जैसा वाणिज्यिक वार्तालाप में प्रयुक्त होता हो।

## अध्याय - II: सामान्य दिशानिर्देश

### 5. ब्याज दर ढांचा

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक घरेलू, अनिवासी साधारण (एनआरओ), अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) खातों और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] (चालू खाता जमाराशियों को छोड़कर) में अपने द्वारा स्वीकार अथवा नवीकृत की गई जमाराशियों पर इन निदेशों में विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तों पर ब्याज अदा करेंगे:

5.1 जमाराशि पर ब्याज दरों के लिए निदेशक बोर्ड या बोर्ड की कोई अन्य समिति, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यापक नीति होगी।

5.2 सभी शाखाओं और सभी ग्राहकों के लिए यह दरें समान होंगी तथा बैंक के किसी भी कार्यालय में एक ही दिन स्वीकार की गई एक ही राशि के लिए दो जमाराशियों पर अदा ब्याज के मामले में कोई विभेद नहीं होगा।

5.3 जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की दरें पूर्णतः पहले से प्रकट की गई ब्याज दर अनुसूची के अनुसार होंगी।

5.4 वाणिज्यिक बैंक पर्यवेक्षी समीक्षा में सुविधा के लिए थोक जमाराशि ब्याज दर कार्ड अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में बनाए रखेंगे।

5.5 ब्याज दरें जमाकर्ता और बैंक के बीच किसी परक्रामण के अधीन नहीं होंगी।

5.6 प्रस्तावित ब्याज दरें उपयुक्त, संगत, पारदर्शी और जब भी अपेक्षित हो, पर्यवेक्षी समीक्षा/ जांच के लिए उपलब्ध होंगी।

5.7 जमाराशि पर ब्याज के भुगतान से संबंधित सभी लेनदेन रूपया जमाराशि के लिए निकटतम रूपए तक और एफसीएनआर(बी) जमाराशि को दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किए जाएंगे।

5.8 गैर कारोबारी कार्य दिवस को परिपक्व होनेवाली जमाराशि पर ब्याज का भुगतान

5.8.1 यदि कोई मियादी जमाराशि गैर-कारोबारी कार्यादिवस को भुगतान के लिए परिपक्व होती है तो बैंक को जमाराशि की विनिर्दिष्ट मियाद समाप्त होने की तारीख और जिस कार्यादिवस को जमाराशि का भुगतान किया जाना है, इस बीच में पड़ने वाले गैर-कारोबारी कार्यादिवस के लिए आरंभिक मूलधन जमाराशि पर मूल संविदा दर पर ब्याज अदा करना होगा।

5.8.2 पुनर्निवेश जमाराशियों तथा आवर्ती जमाराशियों के मामले में, बैंक मध्यवर्ती गैर-कारोबारी कार्य-दिवस के लिए परिपक्ता मूल्य पर ब्याज का भुगतान करेंगे।

5.9 सहकारी बैंकों के लिए रविवार/छट्टी/गैर-कारोबारी कार्य दिवस पर परिपक्त होने वाली जमाराशियाँ।

5.9.1 यदि कोई मियादी जमा रविवार/छट्टी/गैर-कारोबारी कार्य-दिवस पर भुगतान के लिए परिपक्त हो रही है, तो सहकारी बैंक जमाराशि की निर्दिष्ट अवधि की परिपक्तता की तारीख और अगले कार्य-दिवस पर जमा की आय के भुगतान की तारीख के बीच के रविवार/छट्टी/गैर-व्यावसायिक कार्य-दिवस के लिए मूल जमाराशि पर मूल रूप से अनुबंधित दर पर ब्याज का भुगतान करेंगे।

5.9.2 पुनर्निवेश जमा और आवर्ती जमा के मामले में, सहकारी बैंक परिपक्ता मूल्य पर मध्यवर्ती गैर-कारोबारी कार्यदिवस के लिए ब्याज का भुगतान करेंगे।

5.10 एक वाणिज्यिक बैंक की शाखा के दूसरे बैंक में स्थानांतरित होने के परिणाम

ग्रामीण और अर्ध-शहरी केन्द्रों में बैंक शाखाओं के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप जमाखातों का एक बैंक शाखा से दूसरी बैंक शाखा में स्थानांतरित की स्थिति में निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

5.10.1 जमाखाता नए बैंक में अंतरित माना जाएगा और अधिग्रहित होने वाली बैंक शाखा तथा ग्राहक के बीच हुई संविदा की शर्तों के अधीन ही शासित होना जारी रहेगा।

5.10.2 ऐसी अंतरित जमाराशि पर परिपक्तता तक वही ब्याज दर दी जाती रहेगी, जो शाखा के अधिग्रहण के समय देय थी।

## अध्याय – III: घरेलू रुपया जमाराशियां

### 6. घरेलू चालू खाते पर ब्याज दर

चालू खाते में रखी गई जमाराशियों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

बशर्ते कि किसी दिवंगत जमाकर्ता व्यक्ति या एकल स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान के नाम पर चालू खाते में शेष राशि पर ब्याज जमाकर्ता की मृत्यु की तिथि से दावेदार/रों को चुकौती करने की तिथि तक भुगतान तिथि को बचत खाते पर लागू ब्याज दर के हिसाब से देय होगा।

### 7. घरेलू बचत जमाराशि पर ब्याज दर

इन निदेशों के पैराग्राफ 5 में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त, घरेलू रुपया बचत जमा पर ब्याज निम्नलिखित के अधीन होगा:

7.1 घरेलू रुपया बचत जमाराशि पर ब्याज अदायगी की गणना दैनिक गुणन फल के आधार पर निम्नलिखित रूप में की जाएगी:

7.1.1 एक लाख रुपये तक के शेष पर एक समान ब्याज दर निर्धारित की जाएगी चाहे इस सीमा के भीतर खाते में राशि कुछ भी हो।

7.1.2 दिन-की-समाप्ति के समय एक लाख रुपये से अधिक बचत बैंक शेष के लिए विभेदक ब्याज दरें प्रदान की जा सकती हैं।

### 8. घरेलू मियादी जमाराशियों पर ब्याज दर

8.1 इन निदेशों के पैराग्राफ 5 में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त, मियादी जमा पर ब्याज दरें केवल निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से ही भिन्न होंगी:

#### 8.1.1 जमाराशियों की अवधि

बैंकों को जमाराशियों की परिपक्तता/मियाद तय करने की स्वतंत्रता होगी। बशर्ते कि जमाराशि की न्यूनतम अवधि सात दिन होगी।

#### 8.1.2 जमाराशि का आकार

विभेदक ब्याज दर केवल थोक जमाराशियों पर दी जा सकेगी।

**बशर्ते** कि बैंक मियादी जमा योजना, 2006 के आधार पर तैयार की गई जमा योजनाओं पर विभेदक ब्याज लागू नहीं होगा।

**बशर्ते** कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पूँजीगत अभिलाभ खाता योजना, 1988 के तहत प्राप्त जमाराशियों पर अंतर ब्याज लागू नहीं होगा।

#### **8.1.3 अवधिपूर्व आहरण के विकल्प की अनुपलब्धता**

अवधिपूर्व आहरण के विकल्प के बिना भी मियादी जमाराशियां प्रस्तावित करने के लिए बैंक स्वतन्त्र होंगे।

**बशर्ते** कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा व्यक्तियों से (एकल या संयुक्त रूप से धारित) एक करोड़ रुपये और उससे कम राशि की स्वीकार की गई सभी मियादी जमाओं में समयपूर्व निकासी की सुविधा होगी।

**बशर्ते** कि सहकारी बैंकों द्वारा एचयूएफ से एक करोड़ रुपये और उससे कम राशि की स्वीकार की गई सभी मियादी जमाओं में समयपूर्व निकासी की सुविधा होगी।

#### **8.2 अवधिपूर्व आहरण पर ब्याज का भुगतान:**

अवधि से पहले आहरित की गई मियादी जमाराशियों पर लागू ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी:

8.2.1 ब्याज का भुगतान उस राशि और अवधि के लिए लागू दर पर किया जाएगा जिस अवधि के लिए जमाराशि बैंक में थी, न कि अनुबंधित दर पर।

8.2.2 यदि पैराग्राफ 8.1.1 में निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि पूरी होने से पहले जमाराशि की समयपूर्व निकासी की जाती है तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

### **9. घरेलू जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान**

9.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने विवेकानुसार, बैंक के स्टाफ और उनके अपने असोशिएशन के साथ-साथ अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक अथवा ऐसे अन्य कार्यपालक जो निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किए गए हों, की बचत या मियादी जमाराशि पर अपनी ब्याज दरों की अनुसूची में उल्लिखित ब्याज दर से एक प्रतिशत प्रतिवर्ष का अतिरिक्त ब्याज निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते हैं:

9.1.1 अतिरिक्त ब्याज केवल उस अवधि तक देय होगा जब तक व्यक्ति उसके लिए पात्र हो तथा उसके पात्र न रहने की स्थिति में, मियादी जमाखाते की परिपक्तता तक ही अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

9.1.2 समामेलन की योजना के अनुसरण में लिये गये कर्मचारियों के मामले में अतिरिक्त ब्याज तभी देय होगा जब अतिरिक्त ब्याज सहित अनुबंधित दर पर ब्याज उस दर से अधिक न हो जो बैंक द्वारा ऐसे कर्मचारियों को मूलतः नियोजित किये जाने पर दिया जा सकता था।

9.1.3 अन्य बैंक से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये कर्मचारियों के मामले में, जिस बैंक द्वारा उन्हें प्रतिनियुक्ति किया गया है वह बैंक प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उसके पास खोले गये बचत अथवा मियादी जमाखाते पर अतिरिक्त ब्याज दे सकता है।

9.1.4 निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर या निश्चित अवधि के लिए संविदा आधार पर लिये गये व्यक्तियों के मामले में, जैसी भी स्थिति हो, उक्त लाभ प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा की अवधि समाप्त होने पर मिलना बंद हो जायेगा।

9.1.5 बैंक कर्मचारी संघ जिनमें बैंक के कर्मचारी प्रत्यक्ष सदस्य नहीं है, अतिरिक्त ब्याज के लिए पात्र नहीं होंगे।

9.1.6 निम्नलिखित जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज संबंधित जमाकर्ता से यह घोषणापत्र लेने के बाद दिया जा सकता है कि इस खाते में जमा की गयी अथवा समय-समय पर जमा की जाने वाली धनराशि जमाकर्ता की ही है:

- (i) बैंक के स्टाफ-सदस्य या सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य के नाम पर एकल या उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से खोले गये खाते; या
- (ii) बैंक के दिवंगत स्टाफ सदस्य अथवा दिवंगत सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य की पत्नी /पति के नाम पर खोले गये खाते; और
- (iii) किसी ऐसे संघ अथवा निधि के नाम पर खोले गये खाते, जिनके सदस्य बैंक के स्टाफ-सदस्य हों।

9.2 बैंक अपने विवेकानुसार विशिष्ट रूप से निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए मियादी जमा योजनाएं बनायेंगे, जिनमें किसी भी राशि की सामान्य जमाराशियों के मुकाबले उच्चतर और निश्चित ब्याज दरें दी जाएं।

**बशर्ते** कि यह सुविधा हिंदू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) या एचयूएफ के कर्ता के नाम पर खोले गए मियादी जमाखाते पर नहीं दी जाएगी, भले ही कर्ता निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिक हो।

9.3 बैंक अपने विवेकानुसार अपने सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों को, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, बैंक के स्टाफ सदस्य होने के नाते उनको देय अतिरिक्त ब्याज के अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को स्वीकार्य उच्चतर ब्याज दरों का लाभ देंगे।

## **10. अतिदेय घरेलू जमाराशियों पर ब्याज**

10.1 अतिदेय मियादी जमा के नवीकरण पर भुगतान की जाने वाली ब्याज दर इन निदेशों के पैराग्राफ 5 में निहित पूर्वपिक्षा के अधीन होगी।

10.2 यदि कोई मियादी जमा (टीडी) परिपक्ष हो जाती है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक के पास उपलब्ध अदावी राशि पर, बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्ष टीडी पर अनुबंधित ब्याज दर, जो भी कम हो, लागू होगी।

## **11. अस्थिर दर वाली घरेलू मीयादी जमाराशियां**

अस्थिर दर वाली घरेलू मीयादी जमाराशियों को प्रत्यक्ष निगरानी योग्य और पारदर्शी बाजार-आधारित बाह्य बेंचमार्क से जोड़ा जाएगा।

## **12. घरेलू बचत जमाराशियों पर ब्याज भुगतान की आवधिकता**

12.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बचत जमा पर ब्याज, तिमाही या उससे कम अंतराल पर जमा किया जाएगा।

12.2 सहकारी बैंकों द्वारा बचत जमा पर ब्याज, तिमाही या उससे अधिक अंतराल पर जमा किया जाएगा।

12.3 प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा फ्रीज़ किए खातों सहित बचत बैंक खातों पर ब्याज नियमित आधार पर जमा किया जाएगा, चाहे खाते के परिचालन की स्थिति कुछ भी हो।

## **13. दिवंगत जमाकर्ता के घरेलू जमाखाते पर देय ब्याज**

किसी दिवंगत व्यक्तिगत जमाकर्ता या दो या अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं के नाम पर परिपक्ष जमाराशियों पर ब्याज दर, जहां जमाकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो गई हो, इन निर्देशों के पैराग्राफ 5 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

## **14. किसान के समिश्र नकदी ऋण खाते में न्यूनतम जमाशेष पर ब्याज की अदायगी का विवेकाधिकार**

किसी किसान के संमिश्र नकदी ऋण खाते में प्रत्येक कैलेंडर महीने की 10 तारीख से लेकर महीने के अंतिम दिन तक की अवधि के दौरान न्यूनतम जमाशेष पर ब्याज इन निदेशों की पैराग्राफ 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अदा किया जाएगा।

## 15. घरेलू मियादी जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण पर दंड

15.1 मियादी जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण पर दंड के लिए निदेशक बोर्ड या बोर्ड की कोई अन्य समिति, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, के द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति होगी।

15.2 जमाराशि स्वीकार करते समय ही दंड के घटकों के बारे में ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा। सूचित न किए जाने पर कोई दंड नहीं लिया जाएगा।

15.3 दिवंगत जमाकर्ताओं के मियादी जमाखाते के दावेदारों या संयुक्त जमाकर्ताओं के अनुरोध पर मियादी जमाखाते की राशि को बांटने पर, मियादी जमाखाते के अवधिपूर्व आहरण पर कोई दंड नहीं लिया जाएगा, यदि जमाखाते की समग्र राशि और अवधि में कोई परिवर्तन न आया हो।

15.4 इन निदेशों के पैराग्राफ 5.10 में उल्लिखित किसी वाणिज्यिक बैंक की शाखा के जमाकर्ता, किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक में कारोबार के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप जमाराशि की समयपूर्व निकासी चाहते हैं, तो समयपूर्व निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

## अध्याय - IV: अनिवासियों की रुपया जमाराशियां

एनआरई और एनआरओ जमा के तहत अनिवासियों की रुपया जमा केवल उन बैंकों द्वारा स्वीकार की जाएगी जो समय-समय पर भारतीय रिझर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत अधिकृत हैं।

### 16. रुपया जमाराशियों - अनिवासी पर ब्याज दर

अनिवासी बाह्य(एनआरई)/ सामान्य अनिवासी(एनआरओ) जमाराशि स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत या नवीकृत जमाराशि पर ब्याज निम्नलिखित पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट नियम और शर्तों के अधीन होंगे:

16.1 ब्याज दरें इन निदेशों के पैराग्राफ 5 में निर्धारित शर्तों के अधीन होंगी।

16.2 एनआरई जमाराशि/ एनआरओ जमाराशि के अंतर्गत बचत जमाराशि पर ब्याज दर इन निदेशों के पैराग्राफ 7 के अनुसार होगा।

16.3 एनआरई/एनआरओ मियादी जमाराशियों पर ब्याज दर में परिवर्तन केवल निम्नलिखित में से एक या एकाधिक कारणों से होंगे :

#### 16.3.1 जमाराशियों की अवधि

बैंकों को जमाराशियों की परिपक्तता/अवधि तय करने की स्वतंत्रता होगी। बशर्ते कि अनिवासी एनआरई मियादी जमाराशि की न्यूनतम अवधि एक वर्ष और एनआरओ मियादी जमाराशि की न्यूनतम अवधि सात दिन होगी।

#### 16.3.2 जमाराशि का आकार

विभेदक ब्याज दर का प्रस्ताव सिर्फ थोक जमाराशियों पर किया जाएगा।

#### 16.3.3 समयपूर्व निकासी विकल्प की अनुपलब्धता

बैंकों को समयपूर्व निकासी विकल्प के बिना एनआरई/एनआरओ मियादी जमाराशि का प्रस्ताव देने की स्वतंत्रता होगी।

बशर्ते कि एक करोड़ रुपये या उससे कम की राशि के लिए व्यक्तियों (एकल या संयुक्त रूप से धारित) से स्वीकार किए गए सभी एनआरई/एनआरओ मियादी जमाओं में समयपूर्व निकासी की सुविधा होगी।

16.4 एनआरई/एनआरओ जमाराशियों पर ब्याज दरें तुलनीय घरेलू रूपया मियादी जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों से अधिक नहीं होंगी।

16.5 बैंक के स्वयं के कर्मचारी या वरिष्ठ नागरिक होने के कारण जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ एनआरई और एनआरओ जमाराशियों को उपलब्ध नहीं होगा।

16.6 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बचत जमा पर ब्याज तिमाही या उससे कम अंतराल पर जमा किया जाएगा।

16.7 सहकारी बैंकों द्वारा बचत जमा पर ब्याज तिमाही या उससे अधिक अंतराल पर जमा किया जाएगा।

16.8 यदि कोई एनआरई खाता धारक, भारत लौटने के तुरंत बाद, एनआरई मियादी जमाराशि को निवासी विदेशी मुद्रा खाते (आरएफसी) में बदलने का अनुरोध करता है तो ब्याज निम्नानुसार अदा किया जाएगा:

16.8.1 यदि एनआरई जमाखाता न्यूनतम एक वर्ष तक सक्रिय नहीं है, तो दी जाने वाली ब्याज दर उस ब्याज दर से अधिक नहीं होगी जो आरएफसी खाते में रखी गई बचत जमाराशि पर दी जाती है।

16.8.2 अन्य सभी मामलों में, ब्याज संविदा दर पर देय होगा।

## **17. ग्रहणाधिकार (लीन) पर प्रतिबंध**

बैंक एनआरई बचत जमाराशियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कोई ग्रहणाधिकार नहीं रखेंगे।

## **18. एनआरई जमाराशि के अवधिपूर्व आहरण पर दंड**

एनआरई मियादी जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण पर दंड के लिए निदेशक बोर्ड या बोर्ड की कोई अन्य समिति, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, के द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति होगी, जो निम्नलिखित के अधीन होगी:

18.1 जमाराशियां स्वीकार करते समय ही दंड के घटकों के बारे में ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा।

18.2 एनआरई मियादी जमाराशि को निवासी विदेशी मुद्रा खाते (आरएफसी) में बदलने के लिए किए गए अवधिपूर्व आहरण पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।

18.3 एनआरई जमाराशि को एफसीएनआर (बी) में और एफसीएनआर (बी) जमाराशि को एनआरई में बदलने के लिए किए गए अवधिपूर्व आहरण पर दंड लगाया जाएगा।

18.4 इन निदेशों के पैराग्राफ 5.10 में उल्लिखित कि सी वाणिज्यिक बैंक की शाखा के जमाकर्ता, कि सी अन्य वाणिज्यिक बैंक में कारोबार के अंतरण के परिणामस्वरूप जमा की अवधिपूर्व निकासी चाहते हैं, तो समयपूर्व निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

### **19. दिवंगत जमाकर्ता के एनआरई मियादी जमाखाते पर देय ब्याज**

यदि दिवंगत जमाकर्ता के एनआरई मियादी जमाखाते के दावाकर्ता निवासी भारतीय हो तो अवधिपूर्णता पर जमाराशि को घरेलू रूपया मियादी जमाराशि माना जाएगा और आगे की अवधि के लिए समान परिपक्तता अवधि वाली घरेलू जमाराशि पर लागू दर से ब्याज दिया जाएगा।

## अध्याय - V: विदेशी मुद्रा जमाराशियां

एफसीएनआर(बी) योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा जमा केवल उन बैंकों द्वारा स्वीकार की जाएगी जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत अधिकृत हैं।

### 20. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना

एफसीएनआर(बी) योजना के अंतर्गत स्वीकृत अथवा नवीकृत जमाराशियों पर ब्याज निम्नलिखित पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार होंगे:

20.1 ब्याज दरें इन नियमों की पैराग्राफ 5 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगी।

20.2 एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत मियादी जमाराशियों पर ब्याज दरों में अंतर केवल निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक कारणों से होंगे:

#### 20.2.1 जमाराशि की अवधि

एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत मियादी जमाराशियों की परिपक्तता अवधि निम्नानुसार होगी:

- (i) एक वर्ष या अधिक लेकिन दो वर्ष से कम;
- (ii) दो वर्ष या अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम;
- (iii) तीन वर्ष या अधिक लेकिन चार वर्ष से कम;
- (iv) चार वर्ष या अधिक लेकिन पाँच वर्ष से कम; और
- (v) केवल पाँच वर्ष

बशर्ते कि कोई भी बैंक पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को स्वीकार या नवीकृत नहीं करेगा, तथा एफसीएनआर (बी) स्कीम के अंतर्गत आवर्ती जमाराशियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

#### 20.2.2 जमाराशि का आकार

बैंक अपने विवेकानुसार ऐसी मुद्रा-वार न्यूनतम राशि निश्चित करेंगे, जिसपर विभेदक ब्याज दरें दी जा सकती हैं।

20.3 जहां विभेदक ब्याज दरों का प्रस्ताव किया गया है, सभी जमाराशियों पर ब्याज दरें नीचे पैराग्राफ 20.7 में निर्धारित समग्र अधिकतम सीमा के अधीन होंगी।

20.4 अस्थिर दर वाली जमाराशियों पर ब्याज संबंधित मुद्रा/परिपक्तता के स्वैप दरों की अधिकतम सीमा के भीतर अदा किया जाएगा और स्थिर दर वाली जमाराशियों पर ब्याज संबंधित मुद्रा/परिपक्तता के ओवरनाइट वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) की अधिकतम सीमा के भीतर अदा किया जाएगा।

20.5 सभी अस्थिर दर वाली जमाराशियों के लिए ब्याज पुनर्निर्धारण अवधि छः महीने होगी।

20.6 पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर संबंधित मुद्रा/ स्वैप दरों के लिए ओवरनाइट एआरआर पर अगले महीने में प्रस्तावित ब्याज दरों के लिए अधिकतम दरें निर्धारित की जाएगी।

20.7 एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा इस प्रकार होगी:

जमाराशि की अवधि	अधिकतम (सीलिंग) दर
1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से कम तक	संबंधित मुद्रा/स्वैप के लिए ओवरनाइट एआरआर और 250 आधार अंक
3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक	संबंधित मुद्रा/स्वैप के लिए ओवरनाइट एआरआर और 350 आधार अंक

20.8 फाइनेंशियल बैंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा उद्धृत/प्रदर्शित संबंधित मुद्रा/स्वैप दरों के लिए ओवरनाइट एआरआर का उपयोग एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

## 21. एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज की गणना की विधि

21. इस योजना के अंतर्गत स्वीकार की गयी जमाराशियों पर ब्याज की अदायगी वर्ष में 360 दिन के आधार पर की जाएगी।

21.2 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज की गणना और भुगतान 180 दिनों के अंतराल पर किया जाएगा तथा उसके बाद शेष वास्तविक दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा।

**बशर्ते** कि, चक्रवृद्धि प्रभाव सहित अवधिपूर्णता पर ब्याज प्राप्त करने का विकल्प जमाकर्ता के पास होगा।

## 22. एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के नवीकरण पर ब्याज की गणना

एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के नवीकरण पर ब्याज की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

22.1 यदि परिपक्तता की तारीख से नवीकरण की तारीख तक (दोनों दिन शामिल करते हुए) अवधि 14 दिनों से अधिक न हो, तो इस प्रकार नवीकृत जमाराशि पर देय ब्याज दर नवीकरण की अवधि के लिए वह उपयुक्त दर होनी चाहिए जो परिपक्तता की तारीख को अथवा जमाकर्ता द्वारा नवीकरण की मांग की तारीख को, जो भी कम हो, लागू हो।

22.2 नवीकरण के अन्य सभी मामलों में अतिदेय अवधि के लिए नवीकृत राशि पर ब्याजदरों का निर्धारण इसे नया मियादी जमा खाता मानते हुए की जाएगी।

22.3 यदि नवीकरण के बाद जमाराशि का आहरण योजना के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम अवधि पूरी होने के पहले कर लिया जाता है, तो बैंक अपने विवेकानुसार अतिदेय अवधि अर्थात् परिपक्तता की मूल तिथि के बाद की अवधि के लिए अदा किये गये ब्याज की वसूली कर सकते हैं।

### **23. दिवंगत एफसीएनआर(बी) जमाकर्ता की जमाराशि पर देय ब्याज**

बैंक किसी दिवंगत एकल जमाकर्ता, अथवा दो या दो से अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं, जिनमें से एक जमाकर्ता की मृत्यु हो गई हो, के नाम (नामों) पर रखी मियादी जमाराशियों पर निम्नानुसार ब्याज देंगे:

23.1 यदि ब्याज जमाराशि की परिपक्तता पर दिया जा रहा है तो संविदागत दर से दिया जाएगा।

23.2 यदि परिपक्तता से पहले जमाराशि की अदायगी का दावा किया, तो ब्याज संविदागत दर से नहीं, बल्कि उस दर से लगाया जाएगा, जो बैंक के पास जमाराशि रखने की अवधि के लिए लागू होगा, तथा पूर्व- भुगतान के लिए कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।

23.3 यदि जमाराशि की परिपक्तता की तारीख के पहले जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है, किन्तु परिपक्तता की तारीख के बाद जमाराशि का दावा किया जाता है तो बैंक परिपक्तता की तारीख तक संविदागत दर पर ब्याज अदा करेगा तथा इसके बाद परिपक्तता की तारीख के बाद अदायगी की तारीख तक की अवधि के लिए परिपक्तता की तारीख को लागू दर पर साधारण ब्याज अदा किया जाएगा।

23.4 जमाराशि की परिपक्तता की तारीख के बाद जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में बैंक को परिपक्तता की तारीख से अदायगी की तारीख तक परिपक्तता की तारीख को निवासी विदेशी मुद्रा (आर एफ सी) खाता योजना के अधीन धारित बचत जमाराशियों पर लागू ब्याज अदा करना होगा।

23.5 दावेदारों के निवासी होने की स्थिति में, परिपक्तता पर देय राशि परिपक्तता की तिथि को भारतीय रूपयों में परिवर्तित की जाएगी और बाद की अवधि के लिए ब्याज इसी परिपक्तता अवधि की देशी मियादी जमाराशि पर लागू दर पर अदा किया जाएगा।

## **24. भारत लौटने पर अनिवासी भारतीयों की एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज की अदायगी**

बैंक अपने विवेकानुसार, भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए लौटने वाले भारतीय राष्ट्रीयता/ मूल के व्यक्तियों के आवेदन पर उनकी एफसीएनआर (बी) जमाराशि को संविदागत ब्याज दर पर परिपक्ता तक जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं, **बशर्ते:**

24.1 एफसीएनआर (बी) खाते पर लागू ब्याज दर जारी रहेगी।

24.2 ऐसी जमाराशियों को खाता धारक के भारत लौटने की तारीख से निवासी जमाराशियों के रूप में माना जाएगा।

24.3 खाताधारक के विकल्प पर एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को परिपक्त होने पर निवासी रूपया जमाराशि खाते या आरएफसी खाते में (यदि पात्र हो तो) परिवर्तित किया जाएगा।

24.4 नयी जमाराशि (रूपया खाता या आरएफसी खाता) पर ब्याज की दर ऐसे जमा खाते के लिए लागू संबंधित दर होगी।

## **25. भारत लौटने पर अनिवासी भारतीयों की एफसीएनआर (बी) जमाराशियों का आरएफसी खातों/ निवासी रूपया खातों में परिवर्तन- ब्याज की अदायगी**

इन निदेशों की पैराग्राफ 5 में दी गई शर्तों के अधीन, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एफसीएनआर (बी) खाते के आरएफसी/ निवासी रूपया खाते में परिवर्तन के समय ब्याज अदा करेंगे, भले ही उस खाते ने पैराग्राफ 20.2.1 में उल्लिखित न्यूनतम परिपक्ता अवधि पूरी न की हो।

**बशर्ते,** यह ब्याज दर आरएफसी खाता योजना के अंतर्गत धारित बचत बैंक जमाराशियों पर देय दर से अधिक न हो।

## **26. जमाराशियों का अवधिपूर्व आहरण**

26.1 बैंक जमाकर्ता के अनुरोध पर एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण की अनुमति देंगे।

26.2 यदि एफसीएनआर(बी) खातों का अवधिपूर्व आहरण ऊपर पैराग्राफ 20.2.1 में उल्लिखित न्यूनतम परिपक्ता अवधि से पहले कर लिया जाता है तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।

## **27. जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण पर दंड**

एफसीएनआर(बी) मियादी जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण पर दंड के लिए निदेशक बोर्ड या बोर्ड की कोई अन्य समिति, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति होगी, जो निम्नलिखित के अधीन होगी:

27.1 जमाराशि स्वीकार करते समय ही दंड के घटकों के बारे में ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा। यदि यह जानकारी नहीं दी गयी है तो अवधिपूर्व आहरण के फलस्वरूप होनेवाली विनिमय संबंधी हानि का वहन बैंकों को करना होगा।

27.2 एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण पर दंड लगाया जाएगा

- (i) जब जमाकर्ता भारत में स्थाई निवास के लिए वापस लौटा हो।
- (ii) एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के एनआरई जमाराशियों में परिवर्तन या इसके विलोमतः परिवर्तन पर।

27.3 मियादी जमाखाते के दावेदार/रों के अनुरोध पर मियादी जमाखाते की राशि को विभाजित करने पर, मियादी जमाखाते के अवधिपूर्व आहरण का दंड नहीं लिया जाएगा, यदि जमाखाते की समग्र राशि और अवधि में कोई परिवर्तन न आया हो।

27.4 बैंक स्वविवेक से एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण के मामले में स्वैप संबंधी लागत की वसूली के लिए भी दंड लगाएंगे।

27.5 अनिवासी भारतीयों के भारत लौटने पर एफसीएनआर(बी) मियादी जमाराशि के आरएफसी खाते में अवधिपूर्व परिवर्तन पर दंड नहीं लगाया जाएगा।

27.6 जहां इन निदेशों के पैराग्राफ 5.10 में उल्लिखित किसी वाणिज्यिक बैंक की शाखा के जमाकर्ता, किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक में कारोबार के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप जमा की समयपूर्व निकासी चाहते हैं, तो समयपूर्व निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

## **28. निवासी विदेशी मुद्रा खाता योजना**

बैंकों को निवासी विदेशी मुद्रा खाता योजना के अंतर्गत उनके द्वारा स्वीकृत या नवीकृत जमाराशियों पर ब्याज दर तय करने की स्वतन्त्रता होगी, जो निदेशक बोर्ड या बोर्ड की कोई अन्य समिति, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुरूप होगी।

## अध्याय – VI: प्रतिबंध और छूट

### 29. प्रतिबंध

बैंक निम्नलिखित कार्य नहीं करेंगे:

29.1 निम्नलिखित के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में जमाराशियों पर पारिश्रमिक या फीस या कमीशन या दलाली या प्रोत्साहन अदा नहीं करेंगे:

- (i) किसी विशेष स्कीम के अंतर्गत घर-घर जाकर जमाराशि संग्रह करने वाले एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन।
- (ii) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था के एक भाग के रूप में प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों / प्रत्यक्ष मार्केटिंग एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन
- (iii) व्यवसाय सुविधा-प्रदाता या व्यवसाय प्रतिनिधि को दिया जाने वाला पारिश्रमिक
- (iv) सहकारी बैंकों के स्टाफ सदस्यों को भारतीय रिझर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

29.2 जमाराशियां जुटाने के लिए पुरस्कार /लॉटरी /मुफ्त यात्राएं (भारत और /या विदेश की) आयोजित नहीं की जाएगी। हालांकि, जमाराशि स्वीकार करते समय जमाकर्ताओं को कम दाम के उपहार दिए जा सकते हैं, जिनकी कीमत 250/- रुपए से अधिक न हो, जो भारतीय बैंक संघ(आईबीए) के आधार नियम और आचार संहिता के अनुसार निर्धारित राशि है।

29.3 मौजूदा/ संभावित उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एजेंटों/ तीसरी पार्टी के माध्यम से संसाधन जुटाने या जमाराशियां जुटाने के लिए बिचौलियों को ऋण प्रदान करने की अनैतिक प्रथाएं नहीं अपनायेगा।

29.4 मियादी जमाराशियों पर किसी अवधि विशेष के लिए बैंक द्वारा दिये जाने वाले वास्तविक साधारण ब्याज दर का उल्लेख किये बिना केवल चक्रवृद्धि प्रतिफल को ही रेखांकित कर जनता से जमाराशियां मांगने के लिए विज्ञापन /साहित्य प्रकाशित नहीं करेगा। जमाराशि की अवधि के लिए वार्षिक साधारण ब्याज दर अनिवार्यतः इंगित की जानी चाहिए।

29.5 चालू खाते को छोड़कर अन्य किसी खाते में ब्याजमुक्त जमाराशि स्वीकार नहीं की जाएगी या परोक्ष रूप से प्रतिफल अदा नहीं किया जाएगा।

29.6 निजी वित्तपोषकों अथवा अनिगमित निकायों से या उनके कहने पर उनसे किसी ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार नहीं करेगा, जिनसे निजी वित्तपोषकों के ग्राहक/कों के पक्ष में जमा रसीद /रसीदें जारी होती हों अथवा जमाराशि की अवधि पूरी होने पर ऐसी जमाराशियां प्राप्त करने के लिए मुख्तारनामे, नामांकन या अन्य किसी तरीके से प्राधिकार दिया जाये।

29.7 अन्य बैंकों में रखी गई मियादी जमाखाते के आधार पर अग्रिम नहीं देगा।

29.8 अपने कार्यों के निष्पादन के लिए बजटीय आवंटन के आधार पर सरकारी विभागों/ निकायों/ नगर निगमों अथवा नगर समितियों/ पंचायत समितियों/ राज्य आवास बोर्डों/ जल और सीवरेज/ ड्रेनेज बोर्डों/ राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगमों/ समितियों/ महानगर विकास प्राधिकरण/ राज्य/ जिला स्तरीय आवास सहकारी समितियों आदि अथवा किसी राजनीतिक दल या किसी व्यापारिक/ व्यवसाय या पेशेवर संस्था के नाम पर बचत जमा खाता खोलें, चाहे ऐसी संस्था एक मालिकाना या साझेदारी फर्म या कंपनी या संघ एवं अन्य संस्थाएं, जो कि व्यक्तियों, एचयूएफ के कर्ता और अनुसूची-। में सूचीबद्ध संगठनों/ एजेंसियों के अलावा हो।

**स्पष्टीकरण:** इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'राजनीतिक दल' का तात्पर्य भारत के नागरिकों के किसी संघ अथवा निकाय से है, जो कि वर्तमान में लागू निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजनीतिक दल के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत है या पंजीकृत समझा जाता है।

29.9 जमाकर्ताओं के परामर्श से धर्मार्थ प्रयोजनों में उपयोग किए जाने हेतु किसी निधि का निर्माण नहीं करेगा।

## 30. छूट

उपर्युक्त पैरा में दिए गए प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

30.1 बैंक द्वारा स्वीकृत की गई ऐसी जमाराशि:

- (i) जो उधारदाता और उधारकर्ता दोनों के रूप में कॉल/ नोटिस/ मियादी मुद्रा बाजार में सहभागी होने के लिए अनुमति प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त हो।
- (ii) जिसके लिए बैंक ने सहभागिता प्रमाणपत्र जारी किया हो।
- (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 की उपधारा (2), धारा 54बी की उपधारा (2), धारा 54डी की उपधारा (2), धारा 54एच की उपधारा (4) और धारा 54जी की उपधारा (2) के

अनुसरण में भारत सरकार द्वारा बनायी गयी पूँजीगत लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत प्राप्त जमाराशि।

(iv) वाणिज्यिक बैंकों को जमा प्रमाणपत्र योजना के अंतर्गत प्राप्त जमाराशि।

30.2 बाह्य केन्द्रों के लिखतों यथा चेकों, ड्राफ्टों, बिलों, टेलीग्राफिक/ मेल अंतरणों आदि की विलंबित वसूली पर ब्याज का भुगतान।

## अनुसूची- I

- i. प्राथमिक सहकारी ऋण समिति जिसका वित्तपोषण बैंक द्वारा किया जा रहा हो।
- ii. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड।
- iii. कृषि उत्पाद विपणन समितियाँ।
- iv. राज्य सहकारी समिति अधिनियमों तथा भूमिबंधक बैंक का निर्माण करने वाले राज्य के विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत समितियों को छोड़कर समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र में लागू तदनुरूपी किसी विधि के अंतर्गत पंजीकृत समितियाँ।
- v. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 द्वारा नियंत्रित ऐसी कंपनियाँ, जिन्हें उक्त अधिनियम के अंतर्गत अथवा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तदनुरूपी उपबंध के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है और जिन्हें उनके नामों में "लिमिटेड" अथवा "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द न जोड़ने की अनुमति दी गयी है।
- vi. उपर्युक्त पैराग्राफ 29.8 में उल्लिखित संस्थाओं को छोड़कर अन्य संस्थाएं और जिनकी पूरी आय को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर चुकाने से छूट दी गई है।
- vii. केंद्र सरकार/ राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों /योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी अनुदानों /सब्सिडी के मामले में सरकारी विभाग /निकाय / एजेंसियाँ, बशर्ते वे बचत बैंक खाता खोलने के लिए संबंधित केन्द्र /राज्य सरकार के विभागों से प्राधिकार-पत्र प्रस्तुत करें।
- viii. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डीडब्ल्यूसीआरए)।
- ix. पंजीकृत या गैर-पंजीकृत ऐसे स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) जो अपने सदस्यों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के कार्य में लगे हैं।
- x. कृषकों के क्लाब- विकास वालंटियर वाहिनी - वीवीवी।

## अध्याय – VII: निरसन तथा अन्य प्रावधान

31. इन निदेशों को जारी करने के साथ ही, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्रों/निदेशों में निहित अनुदेश/ दिशानिर्देश निरस्त किए जाते हैं:

क्र सं	परिपत्र/मास्टर निदेश सं.	दिनांक	विषय
1.	<a href="#"><u>विवि.डीआईआर.सं.84/13.03.00 /2015-16</u></a>	03.03.2016	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) निदेश, 2016
2.	<a href="#"><u>डीसीबीआर.डीआईआर.सं.1/13.01.000/2015-16</u></a>	12.05.2016	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016